बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

संकल्प

पटना, दिनांक नवम्बर, 2016

ज्ञाप संख्या–1/एम02–60–18/2012 गृ0आ0 / श्री मो0 मंसूर अहमद, भा0पु0से0 (2001), तत्कालीन समादेष्टा, बिहार सैन्य पुलिस–11, जमुई के विरूद्ध मो0 सुलैमान, संगम कॉलोनी, पी0एच0ई0डी0, पम्प हाउस के सामने दीघा घाट, पटना द्वारा अनावश्यक रूप से अवरोध पैदा करने एवं परेशान करने का लगाए गये आरोप तथा श्री मो0 मंसूर अहमद, भा0पु0से0 (2001), समादेष्टा, बिहार सैन्य पुलिस–11, जमुई में नवनियुक्त सिपाहियों के योगदान में राशि उगाही संबंधी प्राप्त परिवाद के जॉचोपरांत समर्पित प्रतिवेदन के आलोक में कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने तथा वरीय पुलिस पदाधिकारियों की गरिमा के विरूद्ध कार्य करने के आरोप में विभागीय संकल्प सं0–9786, दिनांक 25.11.2014 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी थी ।

2. और चूँकि श्री मो0 मंसूर अहमद, भा0पु0से0 के मामले की जॉच श्री दीपक कुमार सिंह, तत्कालीन सचिव, जल संसाधन विभाग–सह–अपर विभागीय जॉच आयुक्त, बिहार, पटना द्वारा की गयी एवं जॉच प्रतिवेदन उनके पत्रांक–443 (अनु0), दिनांक 18.08.2015 द्वारा तीन प्रतियों में एवं अभिलेख पृष्ठ सं0–01 से 183 तक मूल पत्र के साथ संलग्नक के रूप में विभाग को प्राप्त हुआ ।

3. और चूँकि प्राप्त अधिगम पर अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णय के आलोक में श्री अहमद के विरूद्ध प्रस्तावित दण्ड पर संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली का परामर्श प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव आयोग को उपलब्ध कराया गया, जिसमें आयोग द्वारा प्रस्तुत कागजात के जॉचोपरांत निम्नांकित कमियॉ इंगित की गयी :–

(a) Daily order sheets.
(b) General Examination of the MoS under Rule 8 (19) of AIS (D&A) Rule 1969.
(c) Written brief of P.O & MoS.

4. और चूँकि उक्त पृच्छाओं के निराकरण हेतु जॉच पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि Daily order sheets की प्रति विभागीय जॉच आयुक्त से प्राप्त की जा सकती है तथा General Examination of the MoS under Rule 8 (19) of AIS (D&A) Rule 1969 एवं Written brief of P.O & MoS आदि सारे कागजात मूल अभिलेख के रूप में विभाग को पूर्व में ही उपलब्ध कराया जा चुका है लेकिन इस संबंध में विभागीय जॉच आयुक्त से संपर्क करने पर उनके द्वारा केवल Daily order sheets की प्रति उपलब्ध करायी गयी ।

5. और चूँकि जॉच पदाधिकारी से प्राप्त अधिगम के साथ मूल अभिलेख के रूप में कुल 183 पृष्ठों में उपलब्ध कागजातों में General Examination of the MoS under Rule 8 (19) of AIS (D&A) Rule 1969 एवं Written brief of P.O & MoS उपलब्ध नहीं रहने के कारण Daily order sheets की टिप्पणी दिनांक 13.03.2015 एवं उसकी पृष्ठ सं0–146 के आधार पर उक्त दोनों पृच्छाओं के समाधान हेतु संघ लोक सेवा आयोग को उपलब्ध कराया गया । आयोग द्वारा प्रस्तुत प्रकरण की समीक्षा करने पर जॉच की कार्यवाही में निम्नांकित कमियॉ इंगित की गयी :–

(a) General Examination of the MoS has not been done as required under Rule 8 (19) of AIS (D&A) Rule 1969.
(b) There is no written brief of P.O & MoS.

6. और चूॅकि संघ लोक सेवा आयोग में मामले को प्रस्तुत करने के क्रम में आयोग द्वारा यह भी बताया गया कि विभागीय कार्यवाही में सेवा के सदस्य का General Examination होना आवश्यक है। इसके लिए मामले को पुनः जॉच पदाधिकारी को भेजे जाने की आवश्यकता है । उक्त के आलोक में विभागीय कार्यवाही में जो प्रक्रियात्मक कमियॉ है उसको दूर करने के लिए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम–9 (1) के आलोक में मामले को जॉच पदाधिकारी के पास अग्रेतर जॉच हेतु वापस करने का निर्णय लिया गया है ।

7. और चूॅकि श्री मो0 मंसूर अहमद, भा0पु0से0 (2001) के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही सं0–97/14 के संबंध में उनके द्वारा दायर वाद में माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, पटना पीठ, पटना के आदेश दिनांक 04.11.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही को अंतिम रूप से निष्पादित करने हेतु तीन माह की समयावधि निर्धारित की गयी है । श्री अहमद की सेवानिवृति की तिथि 30.11.2016 है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(रंजन कुमार सिन्हा)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–1/एम02–60–18/2012 गृ0आ0 /पटना,दिनांक नवम्बर, 2016

प्रतिलिपि :– श्री दीपक कुमार सिंह, प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना–सह–अपर विभागीय जॉच आयुक्त को संकल्प में विनिर्दिष्ट प्रतियों के साथ विभागीय कार्यवाही की सुनवाई हेतु प्रेषित ।

2. इस संदर्भ में संघ लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 18.10.2016 एवं माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, पटना पीठ, पटना के आदेश दिनांक 04.11.2016 की छायाप्रति के साथ–साथ श्री अहमद के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु निर्गत संकल्प सं0–9786, दिनांक 25.11.2014 में विनिर्दिष्ट लेख्यों की प्रतियॉ संलग्न करते हुए अनुरोध है कि माननीय अधिकरण के आदेश के आलोक में इसकी सुनवाई कर जॉच प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

ह0/–

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–1/एम02–60–18/2012 गृ0आ0 /पटना,दिनांक नवम्बर, 2016

प्रतिलिपिः– पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. चूॅकि इस मामले में पूर्व में नियुक्त उपस्थापन पदाधिकारी श्री दलजीत सिंह, भा0पु0से0 (2007) सम्प्रति केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं, अतः उनके स्थान पर अन्य उपयुक्त पदाधिकारी को उपस्थापन पदाधिकारी के रूप में नियुक्ति हेतु नामित करने की कृपा की जाय ।

ह0/–

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–1/एम02–60–18/2012 गृ0आ0 8978 **/पटना,दिनांक** 16 - **नवम्बर, 2016**

प्रतिलिपि :– महानिदेशक–सह–महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/श्री मो0 मंसूर अहमद, भा0पु0से0 (2001), तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (प्रशिक्षण), बिहार, पटना सम्प्रति मुख्यालय महानिदेशक–सह–महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–5, गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना/ आई.टी. प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना (website : www.home.bih.nic.in पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव